

रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/14164/सातवाँ के. वे. आ./परिपत्र/जिल्द-1
No. AN/XIV/14164/VIIth CPC/Circular/VoI-I

दिनांक 11/11/2016

सेवा में,

सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि./प्र.ले.नि.(फे.)/ र.ले.नि.(आईटी एवं एसडीसी), हैदराबाद
All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)/CDA (IT&SDC), Hyderabad

विषय: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में सरकार का निर्णय - 01.07.2016 से लागू करें ।

Sub: Recommendations of the Seventh Central Pay Commission - Decision of Government relating to grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Rates effective from 01.07.2016.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 04.11.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/2/2016-ई.॥(बी) की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 1/2/2016-E.II(B) dated 04.11.2016 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

संलग्नक: यथोपरि

(टी के जाजोरिया)
(टी के जाजोरिया)

रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 ।
2. लेखा परीक्षा - 1, 2 एवं 4 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समंजस) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. ई.डी.पी. सेंटर (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता} ।

(टी के जाजोरिया)
(टी के जाजोरिया)

रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली 04 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों - केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में सरकार का निर्णय - 01.07.2016 से लागू करें।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महंगाई भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 01.07.2016 से प्रति माह मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य होगा।

2. 1 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में 01.01.2016 से संस्वीकृत 125% महंगाई भत्ता शामिल है। इसलिए, संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 01.01.2016 से शून्य होगा।

3. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।


4. सरकार ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के तहत निर्णय लिया है कि वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जाता रहेगा।

5. यह महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

6. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूप के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे से कम है तो उसे नजरअंदाज किया जाए।

7. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

8. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।



(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

New Delhi, the 4th November, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recommendations of the Seventh Central Pay Commission – Decision of Government relating to grant of Dearness Allowance to Central Government employees – Rates effective from 1.7.2016.

The undersigned is directed to say that consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Dearness Allowance, the President is pleased to decide that the Dearness Allowance (DA) to all categories of Central Government employees shall be admissible at the rate of 2 percent of basic pay per month, w.e.f.01.07.2016.

2. The revised pay structure effective from 01.01.2016 includes the Dearness Allowance of 125% sanctioned from 01.01.2016 in the pre-revised pay structure. Thus, Dearness Allowance in the revised pay structure shall be zero from 01.01.2016.

3. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc.

4. The Government vide Resolution No. 1-2/2016-IC. dated 25/07/2016 has decided that till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of the Committee constituted under the Chairmanship of Finance Secretary & Secretary (Expenditure), all Allowances will continue to be paid at existing rates.

5. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

6. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

7. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

8. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.


(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).